न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 02/2025

प्रार्थी

1. श्रीमती सुआ पत्नि श्री देवपुरी पुत्री श्री सोनपुरी जाति गोस्वामी निवासी वाटेरा हाल खडात तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत वाटेरा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत वाटेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री मानपुरी पुत्र श्री बाबुपुरी जाति गोस्वामी निवासी झाडौली हाल वाटेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री उमेश पटेल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

(न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.))

निर्णय **दिनांक 19.02.2026**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 4016 दिनांक 13.12.2009 क्षेत्रफल 1083 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश पटेल ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जबाव प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमों के विपरित पट्टा संख्या 4016 दिनांक 13.12.2009 क्षेत्रफल 1083 वर्गफुट जारी किया गया है। यह कि प्रार्थिया वाटेरा निवासी सोनपुरी पुत्र महादेवपुरी गोस्वामी की जायन्दा पुत्री है तथा प्रार्थिया के अन्य दो बहनों का देहान्त हो चुका है तथा प्रार्थिया के कोई भाई नहीं है। प्रार्थिया के दादा महादेवपुरी के दो पुत्र थे सोनपुरी व भूरपुरी तथा प्रार्थिया के पिता सोनपुरी की भी मृत्यु हो चुकी है। यह कि प्रार्थिया के पिता का 2409 वर्गफीट क्षेत्रफल का मकान गांव वाटेरा में आया हुआ है, जिसके उत्तर में दरगाराम खाना जी का मकान, दक्षिण में श्री किशनपुरी पुत्र बाबुपुरी, पूर्व में आम रास्ता तथा पश्चिम में गली स्थित है। यह कि उपरोक्त मकान के आगे बने एक

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 02

कमरें मे अप्रार्थी संख्या दो ने किराणे की दुकान खोली थी और बाहर एक कमरे में किशनपुरी पुत्र श्री बाबुपुरी ने चाय की होटल खोली थी। अप्रार्थी संख्या दो व किशनपुरी दोनों झाडोली के निवासी है और बेरोजगार होने से प्रार्थिया के पिता से वाटेरा में धंधा करने के लिए बात की थी और अप्रार्थी संख्या दो व किशनपुरी दोनो प्रार्थिया के जाति भाई होने से प्रार्थिया के पिता ने किराये पर दुकान दी और अपने मकान में एक–एक कमरा रहने हेतु दिया था। यह कि सामाजिक रिवाज अनुसार प्रार्थिया के दादा महादेवपुरी व दादी कोकूबाई व अपने पिता सोनपुरी व अपने काका भूरपुरी की समाधी भी इसी मकान में बनी हुई है। प्रार्थिया के अपने ससुराल रहने का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या दो व किशनपुरी ने मिलकर अप्रार्थी संख्या एक ग्राम पंचायत से मेल मिलाप कर अपने नाम से पट्टे बनवा लिया और मकान दो आधे–आधे भाग में दोनों ने बांट लिया, जिससे अप्रार्थी संख्या दो के नाम पट्टा संख्या 4016 दिनांक 13.12.2009 व श्री किशनपुरी के नाम पट्टा संख्या 4014 दिनांक 13.12.2009 का फर्जी रुप से बनाया है, जो निरस्त योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो व किशनपुरी ने षंडयत्रपूर्वक प्रार्थिया के पिता के पुश्तैनी सम्पत्ति का मेल मिलाप कर फर्जी रुप से पट्टा बनवाया है, जो पट्टा कानूनन खारिज योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो व किशनपुरी ने फर्जी रुप से प्रार्थिया पिता के गोदी पुत्र होने व पिता द्वारा भूमि का बेचान करने का कथन कर आज से कुछ वर्ष पूर्व अवैध रुप से कब्जा कर लिया। प्रार्थिया द्वारा मकान खाली करने का कहने पर अप्रार्थी संख्या दो व किशनपुरी ने प्रार्थिया के साथ झगड़ा फसाद किया और कहा कि हमने तो अपने नाम से पट्टा बनवा लिया है। जिस पर प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या दो व किशनपुरी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें कार्यवाही का इंतजार प्रार्थिया करती रही तथा बाद में प्रार्थिया बीमार रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकी। अतः अब यह निगरानी याचिका बिना देरी ना पेश कर रही है। अन्यथा भी विधि में निगरानी पेश करने हेतु समय सीमा तय नहीं है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थिया कि निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4016 दिनांक 13.12.2009 क्षेत्रफल 1083 वर्गफीट को निरस्त करने का आदेश फरमायें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री उमेश पटेल द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। यह कि पक्षकार के पूर्वज रघुनाथपुरी के दो पुत्र थे, जिसमें महादेवपुरी उर्फ माधवपूरी और दूसरे पूनमपुरी। महादेवपुरी के दो पुत्र हुए, जिसमें एक सोहनपुरी उर्फ सोनपुरी तथा दूसरे भूरपुरी, जिसमें भूरपूरी के कोई संतान नहीं है और सोहनपुरी उर्फ सोनपुरी के तीन पुत्रियाँ प्रार्थिया सुआ और मोहनी तथा कमला है, जिसमें से प्रार्थिया को छोडकर सभी का देहान्त हो चुका है। इसी प्रकार रघुनाथपुरी के दूसरे पुत्र पूनमपुरी के दो पुत्र हुए, जिसमें एक गणेशपुरी जिनकी नाऔलाद मृत्यु हो गयी है, तथा दूसरे अप्रार्थी संख्या दो के दादा बाबुपुरी थे, बाबुपुरी के तीन पुत्र केशरपुरी, प्रभुपुरी व अप्रार्थी संख्या दो मानपुरी है। यह कि प्रार्थिया ने गलत रूप से अप्रार्थी संख्या दो मानपुरी पुत्र बाबुपुरी के मकान की चतुर्दर्शी को अपने पिता का मकान होना कथन किया है, जबकि उक्त अडौस पडौस वाला मकान अप्रार्थी संख्या दो मानपुरी पुत्र बाबुपुरी का है, जिसके दक्षिण दिशा में किशनपुरी पुत्र प्रभुपुरी का मकान है, किन्तु प्रार्थिया ने पडौस में किशनपुरी के पिता का नाम गलत रूप से बाबुपुरी लिखा है, जबकि किशनपुरी के पिता का नाम प्रभुपुरी है। प्रार्थिया के पिताजी सोनपुरीजी ने उनका मकान का थाला एवं कब्जा शुदा भूखण्ड अपने जीवित अवस्था में दिनांक 02.06.1980 को श्री मना पुत्र तेजाजी घांची निवासी वाटेरा वाले को बेचान कर दिया था, जिसमे वर्तमान में रामलाल पुत्र मनाजी का कब्जा है, उससे पूर्व दिनांक 05.03.1979 को

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 03

प्रार्थिया के पिता सोहनपुरी ने अपना प्लॉट व रहवासी मकान चमना पुत्र अचलाजी को बेचान कर दिया था, प्रार्थीया के पिताजी की कोई सम्पति ग्राम वाटेरा में शेष नहीं रही थी, जिसका उल्लेख उन्होंने संवत 2037 के चेत्र शुदी एकम को किये लिखित में करते हुए स्पष्ट किया है कि सोनपुरी का हिस्सा बेच दिया है और बाबुपुरी का हिस्सा मौजूद रहा है, जिसमे माधवपुरी के बेटों का कोई हक नही है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या दो मानपुरी के मकान को प्रार्थिया ने अपने पिताजी का मकान होने का आधारहीन कथन किया है, जो मानने योग्य नहीं है। यह कि मानपुरी और किशनपुरी झाडोली के निवासी नही होकर ग्राम वाटेरा के निवासी है और प्रार्थिया के पिता के जाति भाई नहीं होकर कुटुम्बी भाई भतिज है। यह कि प्रार्थिया के पिता सोनपुरी की समाधि गाँव से आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित नदी के किनारे पर है और उसके चाचा भूरपुरी की समाधि कोठार के रेलवे स्टेशन के पास है। उक्त मकान में जो समाधी है वह अप्रार्थी संख्या दो के भाई प्रभुपुरी की है। उक्त मकान अप्रार्थी संख्या दो के चाचा मानपुरी पुत्र बाबुपुरी का है एवं उसके लगते स्थित मकान जिसका पडौस प्रार्थना पत्र में अंकित चतुर्दशी में दक्षिण दिशा किशनपुरी का अंकित किया है वह अप्रार्थी संख्या दो के भतीज किशनपुरी पुत्र प्रभुपुरी का है, जिसके ग्राम पंचायत वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियमो के तहत नियमानुसार जारी किये है, जो वैध पट्टे है। यह कि अप्रार्थी के दक्षिण दिशा में स्थित प्रभुपुरी पुत्र बाबुपुरी के मकान का पट्टा उनके पुत्र किशनपुरी के नाम से जारी करवाया है तथा अप्रार्थी संख्या दो एवं किशनपुरी ने अपने पुश्तैनी आवासीय मकान के पट्टे नियमानुसार जारी करवाए है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमतता अथवा फर्जी रूप से प्रार्थिया के पिताजी के पुश्तैनी संपत्ति का नहीं बनवाया है। प्रार्थिया ने आधारहीन कथन कर यह कार्यवाही पेश की है, जो खारिज योग्य है। प्रार्थिया एवं उसकी बहनों ने उक्त झूठे कथन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध पुलिस थाना रोहिडा में मुकदमा संख्या 131/2015 दर्ज करवाया था, जिसमे पुलिस ने बाद अनुसंधान मामला झूठा पाया एवं न्यायालय से उक्त एफ.आर. स्वीकार हुई है, जिसकी जानकारी रखते हुए भी प्रार्थिया ने यह मिथ्या कथन कर निगरानी पेश की है, जो खारिज योग्य है। यह कि प्रार्थिया के पिताजी ने अपनी सम्पत्ति बेचान कर देने के बाद बुढ़ापे में सेवा के लिये कोई पुत्र नहीं होने से समाज के सामने मानपुरी को गोद लिया था, लेकिन उनके गोद नहीं जाने पर किशनपुरी ने सोनपुरी को अपने साथ रखकर सेवा की थी, किन्तु प्रार्थिया ने झूठे मुकदमें दर्ज करवाकर अप्रार्थी की संपत्ति को हड़पने के लिए अपने पिताजी की सम्पत्ति होने का झूठा कथन कर झूठा फौजदारी मुकदमा एवं उसके बाद देरी से यह निगरानी परेशान करने की नियत से पेश की है, जो खारिज योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा अस्वीकार कर अनुग्रहित करावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 4016 दिनांक 13.12.2009 क्षेत्रफल 1083 वर्गफुट जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार–

157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

जिला कलेक्टर, सिरोही

...पेज नं. 04

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफल:

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा उक्त विवादित पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के हक में राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि प्रार्थिया के पिता का 2409 वर्गफीट क्षेत्रफल का मकान गांव वाटेरा में आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या दो व किशनपुरी दोनों झाडोली के निवासी है और बेरोजगार होने से प्रार्थिया के पिता से वाटेरा में धंधा करने के लिए बात की थी, जिस पर प्रार्थिया के पिता ने उक्त मकान में किराये पर दुकान दी और अपने मकान में एक-एक कमरा रहने हेतु दिया था। तदुपरान्त प्रार्थिया के अपने ससुराल रहने का फायदा उठाकर अप्रार्थी सख्या दो व किशनपुरी ने मिलकर अप्रार्थी संख्या एक ग्राम पंचायत से मेल मिलाप कर अपने नाम से पट्टे बनवा लिया। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थिया के पिताजी सोनपुरीजी ने उनका मकान का थाला एवं कब्जा शुदा भूखण्ड अपने जीवित अवस्था में दिनांक 02.06.1980 को श्री मना पुत्र तेजाजी घांची निवासी वाटेरा वाले को बेचान कर दिया था, जिसमें वर्तमान में रामलाल पुत्र मनाजी का कब्ज़ा है, उससे पूर्व दिनांक 05.03.1979 को प्रार्थिया के पिता सोहनपुरी ने अपना प्लॉट व रहवासी मकान चमना पुत्र अचलाजी को बेचान कर दिया था, प्रार्थीया के पिताजी की कोई सम्पति ग्राम वाटेरा में शेष नहीं रही थी। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि को प्रार्थिया के पिता के कब्जे स्वामित्व की होने का कथन किया गया है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थिया के पिता ने अपने कब्जे स्वामित्व के मकान में अप्रार्थी संख्या दो को किराये पर दुकान दी और एक कमरा रहने हेतु दिया था। अतः प्रार्थी अधिवक्ता उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि को अपने कब्जे स्वामित्व की होने का साबित करने में असफल रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थिया के पिताजी सोनपुरी द्वारा दिनांक 02.06.1980 को पांच रूपए के स्टाम्प पर उनके मकान का थाला एवं कब्जा शुदा भूखण्ड श्री मना पुत्र तेजाजी घांची निवासी वाटेरा को बेचान किए जाने के सम्बन्ध में लिखत की हुई है तथा दिनांक 05.03.1979 को एक रूपए के स्टाम्प पर भी प्रार्थिया के पिता द्वारा अपना प्लॉट व रहवासी मकान चमना पुत्र अचलाजी को बेचान किए जाने के सम्बन्ध में लिखत की हुई है। इसके अलावा प्रार्थीया के पिताजी की कोई सम्पति ग्राम वाटेरा में शेष नहीं रही थी, जिसका उल्लेख उन्होंने संवत 2037 के चेत्र शुदी एकम को किये लिखित में स्पष्ट किया है कि सोनपुरी का हिस्सा बेच दिया है और बाबुपुरी का हिस्सा मौजूद रहा है, जिसमे माधवपुरी के बेटों का कोई हक नहीं है। इसके अलावा भी यदि उपरोक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के मध्य बंटवाड से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद है तो उसके लिए बंटवारे से सम्बन्धित वाद सक्षम सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थिया उक्त विवादित भूमि के

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 05

सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के विरुद्ध पुलिस थाना रोहिडा में मुकदमा संख्या 131/2015 दर्ज करवाया था, जिसमे पुलिस ने बाद अनुसंधान मामला झूठा पाया जाने पर एफ.आर. लगा दी गई एवं उक्त एफ.आर. को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग पिण्डवाडा द्वारा भी स्वीकार की गई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा ग्राम पंचायत उन्दरा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत उन्दरा द्वारा उक्त पट्टे के सम्बन्ध में की गई मिसल संधारण, आपत्ति नोटिस इत्यादि के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही है एवं न ही इसके सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ताओं के द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई कथन किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर यह न्यायालय ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 4016 दिनांक 13.12.2009 क्षेत्रफल 1083 वर्गफुट में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2026 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही